

पालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

128/2018

तारीखरजू-23.10.18

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- रूगनाथी आदि बनाम बत्तू वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 रा0टि0एक्ट

फर्द अहकाम

18

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत इन्द्राज दुरुस्ती/ घोषणा खातेदारी/ स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,88 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.12.18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

12330-33
23/10/18

19.12.18

वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 उपस्थित शेष उप० नहीं। प.०.सा० डाक्टराश पर ली आर्डिना दिनांक 17-1-19 को पेश हो।

बत्तू वगै०
मेहरा-पन्थी

17.1.19

वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 1, 3 ने उपस्थित होकर दावा पर व्हा जबाब पेश किया। शामिल रहे। आर्डिना दि० 14.2.19 को पेश हो।

14.2.19

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक 14.3.19 को पेश हो।

14.3.18

वादी वकील उप० प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 4, उपस्थित नहीं हैं। प.०.सा० डाक्टराश व सुनावकार्य से अनुमणपट ली आर्डिना दिनांक 22.4.19 को पेश हो।

22.4.19

वादी वकील उप० प्रतिवादीगण के विकल एक पक्षीय कार्य जारी की जाती है। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 11-6-19 को पेश हो।

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

11-11-18

पत्रावली-पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
नहीं है। कई बार आवाज-दिलवाई गई। फिर भी
वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित
नहीं है अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम
चेखी में स्थापित किया जाता है। पत्रावली के क्रम
सुमार रोक नम्बर से कम होकर दारिखत दफ्त
हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

